

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 59/2024

पंजीकरण सं. :- 2024/143

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री अशोक कुमार उम्र 34वर्ष पुत्र श्री भोलाराम जाति मेहता निवासी समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारों राज0 (विक्रेता व मालिक) मैसर्स भोला प्रोविजन स्टोर, हनुमान चौराहा, समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारों (राज.) मो.नं. 9983714367

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित

(अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.09.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्जे श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.04.2024 को मैसर्स भोला प्रोविजन स्टोर, हनुमान चौराहा, समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारों(राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भोलाराम मेहता (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.04.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **नमकीन गुरुजी 500 ग्राम** पॉलीपैक लगभग 05 किग्रा. रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **नमकीन गुरुजी 500 ग्राम** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **नमकीन गुरुजी 500 ग्राम** 02 किग्रा. मूल पॉलीपैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भोलाराम मेहता (विक्रेता एवं मालिक) को 400/- रुपये (अक्षरे चार सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **नमकीन गुरुजी 500 ग्राम** के 04 मूल पॉलीपैक के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-2065 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-2065 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सीलबन्ध किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्ध नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भोलाराम मेहता (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/717 दिनांक 02.05.2024 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 427/PHL/kota/Act/2024/482 दिनांक 29.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **नमकीन गुरुजी 500 ग्राम** Contravention to the Regulation No. 5(2) of Food Safety and Standard (Labeling and Display) Regulation, 2020 Chapter-2 के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to the Regulation)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 02.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ने रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **नमकीन गुरुजी 500 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जाँच रिपोर्ट में Contravention to the Regulation No. 5(2) of Food Safety and Standard (Labeling and Display) Regulation, 2020 Chapter-2 के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to the Regulation)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ कंपनी की ओर से खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाली गाड़ी से खरीदा गया था जिसके द्वारा मुझे बिल नहीं दिया गया। मैंने इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। अतः मेरे खिलाफ प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 427/PHL/kota/Act/2024/482 दिनांक 29.04.2024 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ने पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये, किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **नमकीन गुरुजी 500 ग्राम** निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 427/PHL/kota/Act/2024/482 दिनांक 29.04.2024 से Contravention to the Regulation No. 5(2) of Food Safety and Standard (Labeling and Display) Regulation, 2020 Chapter-2 के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to the Regulation)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 58 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 10,000/- रुपये (अक्षरे दस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **30.09.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)